

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज०)

प्रकरण संख्या- 06/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक:-14.06.2021

1. श्री महादेव जी स्थान बरवाडा जरिये पुजारी रामनाथ पिता भवरनाथ जाति नाथ उम्र 50 वर्ष निवासी बरवाडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।

– प्रार्थी

बनाम

1. केशुराम पिता हुकमा जी जाति रावत उम्र 65 वर्ष निवासी बरवाडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
2. गोविन्दसिंह जी पिता श्री शिवसिंह जी जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी बरवाडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज० ।
3. गोपाल सिंह पिता नारसिंह जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी बरवाडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा० ले० २० एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा०ले०२०एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा बरवाडा प०ह० भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं० 116 की आराजी नं० 267 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं० 268 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नं० 362 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नं० 365 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा बरवाडा प०ह० भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा में खाता सं० 116 की आराजी नं० 267 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नं० 268 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नं० 362 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, आराजी नं० 365 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

